शोध पत्रों को प्रकाशित करने के लिए विधि मान्य आई.एस.एस.एन 2321-9645

विश्व स्नेह समाज

वर्ष 22, अंक 10, जून 2023

एक रचनात्मक क्रान्ति

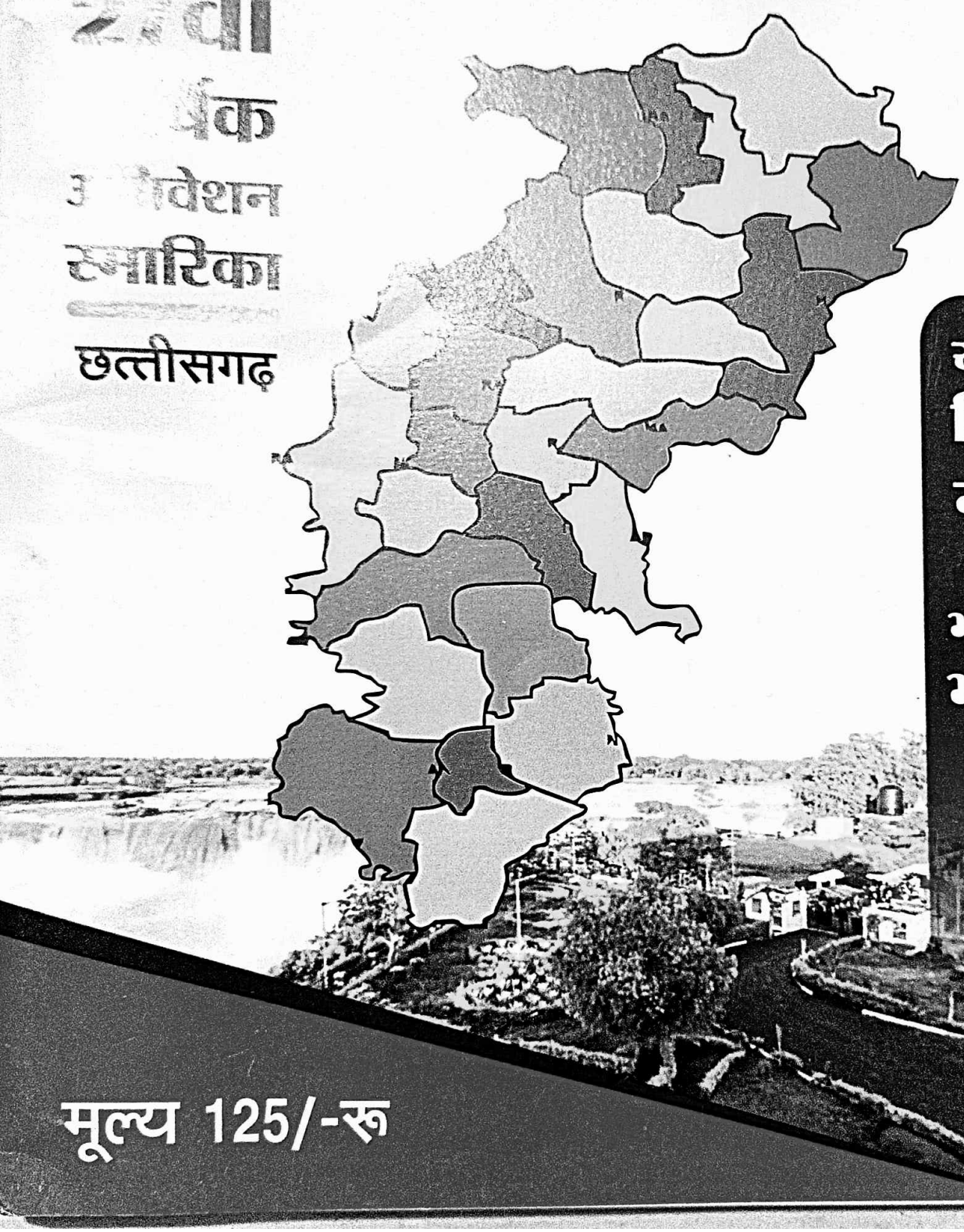

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाएँ

मूल्य 125/-रू

कल, आज और कल भी बहुपयोगी

विश्व स्नेह समाज

मासिक, वर्ष : 22, अंक: 10
जून : 2023

पत्रिका वर्तमान अंक के सम्पादकीय समूह एवं अन्य सदस्य

मुख्य संरक्षक
श्री जुगुल किशोर तिवारी
(आईपीएस), उप पुलिस महानिरीक्षक

संरक्षक सदस्य
श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय

सम्पादक
गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी

प्रबंध सम्पादक
श्रीमती जया शुक्ला

सहयोगी संपादक
डॉ० सीमा वर्मा

ब्यूरो
निगम प्रकाश कश्यप

सम्पादक मंडल (वर्तमान अंक)

- डॉ० सरस्वती वर्मा
- डॉ० वंदना अग्निहोत्री
- प्रा० रोहिणी डावरे
- डॉ० मुक्ता कौशिक
- डॉ० रेशमा अंसारी
- प्रा० मधु भंभानी

संपादकीय कार्यालयः
एल.आई.जी.–93, नीम सराय कालोनी, मुण्डेरा, इलाहाबाद –211011 का0: 09335155949
ई–मेलःvsnehsamaj@rediffmail.com
सभी पद अवैतनिक हैं

पत्रिका में प्रकाशित रचना का कोई भी पारिश्रमिक देय नहीं है।

प्रिंट लाईन-विश्व स्नेह समाज राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका, यूपीहिन्दी/2001/8380, सर्वाधिकार सुरक्षित है. स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुर्न प्रकाशन प्रतिबंधित है. स्वतत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक और संपादक गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी के द्वारा भार्गव प्रेस बाई का बाग, इलाहाबाद से प्रकाशित किया.

नोटः
पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं, समाचारों इत्यादि से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं. इसके लिए लेखक, रचनाकार, सूचनाकार स्वयं ही उत्तरदायी हैं. जन-जन को सूचना मिलने के उद्देश्य से सभी के विचार, संदेश, आलोचना, शिकायत छापी जाती है. पत्रिका से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के वाद-विवाद का निपटारा केवल इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, की अदालतों में होगा.

विशेष :
हिन्दी मासिक विश्व स्नेह समाज के सभी अंक विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान की वेबसाइट www.vhsss.in पर पीडीएफ प्रारुप में उपलब्ध है। आप अपनी सुविधानुसार अवलोकन कर सकते है। कुछ अंक की साफ्ट कॉपी उपलब्ध नहीं होने के कारण अपलोड नहीं किया गया है।

इस अंक में.....

1– इस अंक में 04
2– अध्यक्ष की कलम से...-डॉ० शहाबुद्दीन नियाज़ मुहम्मद शेख 06
3– अपनी बात- शिक्षक और गुरु में क्या अंतर है..... -गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी 07

आलेख :

4- नई शिक्षा नीति 2020 एक विमर्श - डॉ० वंदना अग्निहोत्री 09
5- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : समाज सापेक्ष बदलाव - डॉ० सीमा वर्मा 13
6- हिंदी और छत्तीसगढ़ की राजभाषा छत्तीसगढ़ी - डॉ० जयभारती चंद्राकर 16
7- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का महत्व - डॉ० सरस्वती वर्मा 18
8- नई शिक्षा नीति में भारतीय मातृभाषाओं का महत्व : प्रा० डॉ० भरत शेणकर 20
9- राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाओं का महत्व : डॉ० शेख शहनाज अहेमद 22
10- राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाएं : डॉ० मुक्ता कौशिक 25
11- राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाओं का महत्व : डॉ० आरती बोरकर 27
12- राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाएं- ज्योति होता 30
13- हिन्दी नीति- संतोष शर्मा 'शान' 32
14- राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाएं- राजश्री भारद्वाज 34
15- भारत की शिक्षा नीति और राजभाषा नीति : राहुल खटे 37
16– भारतीय भाषाएँ-सम्पर्क भाषा, राजभाषा और संचार भाषा के आयाम- स्मिता मिठोरा 39
17- उच्चतर हिंदी शिक्षण के समक्ष २१वी सदी की चुनौतियाँ - प्रा. घोडके ललिता भाऊसाहेब 42
18– भाषा का भी परिवार हो सकता है क्या? : हिना 46
19- राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाएं - पंचफूला टेंभुरकर 49
20– राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाएं- डॉ० रीता यादव 52
21– राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषा - हेमलता दुबे 55
22– महात्मा गांधी का महिला एवं शिक्षा दर्शनः 21वीं सदी में प्रासंगिकता - डॉ० हंसा शुक्ला 64
23– महानुभाव साहित्य का मराठी भाषा में योगदान - प्रा. रोहिणी डावरे 66
24– तीरथ राम गढ़ेवाल का छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में योगदान - रतिराम गढ़ेवाल 69
25– डॉ. रामविलास शर्मा का भाषा संबंधी चिंतन - गौरव गौतम 72
26– भारतीय समाज में दिव्यांगों की स्थिति : एक मूल्यांकन - गोपाल राम एवं ए. शशांक राव 75
27– भारतीय समाज और किन्नर विमर्श - ए. शशांक राव एवं गोपाल राम 78
28– शिक्षण-अधिगम एवं संवर्धन के प्रयासों में भाषायी विकास पर जोर 85

गीत / ग़ज़ल / कविता

29- माटी - डॉ० रेशमा अंसारी, गीत- रश्मि लहर, पर्यावरण : हरिशंकर झाराय, कामकाजी नारी : नम्रता ध्रुव, मेरी माँ- ओंकार प्रसाद साहू, जंग-नोमेश्वरी साहू 17, 45, 48, 56, 63, 88

30 साहित्य समाचार 31, 89

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का महत्त्व

भाषा भावाभिव्यक्ति तथा मनोभावों के संप्रेषण का माध्यम है। कुछ व्यक्तियों के साथ बात करने पर यह भी पता चलता है कि उन्हें व्यक्ति या वस्तु के लिंग का भी ज्ञान नहीं होता और वे लिखित भाषा में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के मध्य भेद को न समझते हुए वाक्य में लिंग संबंधी प्रयोग में अशुद्धियां अवश्य कर जाते हैं।

-डॉ. शेख शहनाज अहेमद
हिंदी विभागाध्यक्ष, हुतात्मा जयवंतराव महाविद्यालय, हिमायतनगर, जि.नांदेड, महाराष्ट्र मो. 9404639785

हमारा देश विविध भाषाओं वाला देश है। हमारे देश में अनेक भाषाएँ है जिनको कई विद्वानों ने भाषा और बोलियों में विभाजन किया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 14भाषाएँ थीं जो बढ़कर 24 हो गयी है। इसके अतिरिक्त बोलियों को मिलाकर कुल 1369 भाषाएं है जिसमें 121 भाषाएँ 10 हजार से अधिक लोग बोलते है। युनेस्को के अनुसार विगत 50वर्षों में 200 भारतीय भाषाएँ लुप्त प्राय हो चुकी है, अनेक लुप्त प्राय होने की कगार पर है। अगर एक भी भाषा मर जाती है तो उस भाषा को बोलने वालों की सभ्यता, संस्कृति आदि समाप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में भाषा का महत्व और बढ़ जाता है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भली-भाँति स्वीकार किया है। इस दृष्टि से नीति में लिखा है- 'संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।' [1]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी भारतीय भाषाओं विशेषकर मातृभाषाओं या स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा का माध्यम और उसके आगे भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात कही गयी है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। इस नीति में भारत की सभी भाषाओं के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की गयी है। इस नीति में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर के विकसित देशों में अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नही है और इसका भरपूर लाभ उन्हें मिलता है, जबकि भारत में अभी भी यह बहुत मुश्किल कार्य है।

ध्यातव्य है कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान-विज्ञान की एक सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। अंग्रेजी के मोह के कारण और समुचित व्यवस्थाओं की कमी के कारण भारतीय भाषाएँ उपेक्षित ही नही बल्कि कई भाषाएं समाप्त भी हो गई है। विडंबना यह रही कि शासन-प्रशासन अथवा सरकारों की ओर से इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास नही हुए। विविधता पूर्ण वाले इस देश का सामान्य व्यक्ति मुख्य धारा से कोंसो दूर रहा है। भाषा जोड़ती है, ज्ञान-विज्ञान को यदि मातृभाषा के माध्यम से प्रसारित किया जाता अथवा किया जाए तो वह अधिक का रंग एवं प्रभावी रूप में परिणत होगा। भाषा केवल विचारों के आदान-प्रदान का साधन मात्र ही नही अपितु यह विचार, संस्कार और आधार प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी हैं। भाषा ही व्यक्ति को पहचान देती है तथा उसके व्यक्तित्व का वह एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। भाषिक ज्ञान के साथ ही शिक्षा भी व्यक्ति के निर्माण के साथ उसके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण आयामों संस्कार, विचार, व्यवहार आदि का विकास करती है, विकृतियों से मुक्त करती है, अज्ञानता दूर कराती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में, 'शिक्षा केवल आजीविका प्राप्त करने का साधन नहीं है, न ही यह नागरिकों को शिक्षित करने का अभिकरण है, न ही यह प्रारंभिक विचार है। यह जीवन में आत्मा का

आरंभ हैं, सत्य तथा कर्तव्य पालन हेतु मानवीय आत्मा का प्रशिक्षण है। यह दूसरा जन्म है जिसे 'दिव्यात्मा जन्म' कहा जा सकता है।"[2]

नई नीति की अनुशंसाओं के अनुसार विद्यालयीन शिक्षा के स्तर पर कम कक्षा यानी 5वी कक्षा या 8वी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। विद्यालय से लेकर उच्चशिक्षा के स्तर पर पाठ्यक्रम द्विभाषा में उपलब्ध कराने की बात भी कही है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि, 'हमारा बालक स्नातक, परस्नातक की पढ़ाई में छः वर्ष अंग्रेजी के पीछे बर्बाद करता है अगर यह समय उसके विषय पर खर्च होता तो वह अपने विषय में अधिक सक्षम हो सकता है।"[3], वैश्विक स्तर पर भाषा संबंधी जितने भी अध्ययन हुए है सबका एक ही निष्कर्ष है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए।

'शिक्षा नीति में 'त्रिभाषा सूत्र' को लागू करने पर पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, क्योंकि देश के कुछ राज्य अभी तक इसका अमल नहीं कर रहे हैं। साथ ही त्रिभाषा नीति की जो भावना थी कि उत्तर के राज्य अर्थात हिंदी भाषी राज्य के छात्र दक्षिण या अन्य राज्यों की एक भाषा सीखेंगे और अहिंदी भाषी राज्यों के छात्र हिंदी सिखेंगे ऐसा व्यावहारिक रूप से किया नहीं गया। इस हेतु इस नीति में भारतीय भाषाओं के शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु राज्य परस्पर अनुबंध कर भाषा शिक्षकों का आदान-प्रदान कर सकते है, इस प्रकार का सुझाव भी दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र के प्रावधान में छात्रों को तीन में से दो भारतीय भाषाएँ चूनना अनिवार्य होगा।

शिक्षा नीति में भाषाओं विशेषकर मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। अब तक लागू की गया तीनों ही राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषाया स्थानीय भाषा को सुझाया गया है। तृतीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के बारे में बाकी दोनों शिक्षा नीतियों की तुलना में बहुत अधिक विस्तार से चर्चा की गयी है। इसके अध्याय-4 और अध्याय-22 में शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा, भाषा का संरक्षण व संवर्धन और अनुवाद के लिए नीति निर्धारित की गयी हैं। अध्याय-4 में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम और आगे जाकर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना निर्धारित किया गया है।

पूर्व राष्ट्रपति एवं विख्यात वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कलाम नागपुर के एक कार्यक्रम में व्याख्यान देने के बाद एक छात्र ने उनसे प्रश्न किया कि आप सफल वैज्ञानिक कैसे बने? डॉ. कलाम ने उत्तर दिया-'मैने 12 वीं तक विज्ञान, गणित, सरित संपूर्ण शिक्षा मातृभाषा में ही ग्रहण की है।' इस नीति में भी गणित, विज्ञान के पाठ्यक्रम द्विभाषा में उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। इस शिक्षा नीति में ई-लर्निंग यानी ऑनलाईन शिक्षण को बढ़ावा देने की बात की गयी है।

इस नीति में भाषा शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया गया है। भारत में भाषाओं की विविधता को ध्यान रखकर एक अत्यंत व्यावहारिक समस्या के समाधान पर भी नीति में ध्यान दिया गया है। हमारे देश में अधिकतर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। जनजातीय, पहाड़ी क्षेत्र के छात्र उस राज्य की राजभाषा भी ठीक प्रकार से नहीं जानते, ऐसे में उनको वहां की स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए तो वह सही ढंग से सीख पाएँगे। इस हेतु नीति में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु लिए जाने वाले साक्षात्कार में स्थानीय भाषा की सुगमता का भी परिक्षण किया जाएगा।

सभी भारतीय भाषाओं की जननी और आधार संस्कृत है। इस तथ्य वैश्विक स्तर पर स्वीकृत किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से संपूर्ण भाषा है, परंतु हमारे देश में कुछ लोगों ने संस्कृत को मातृभाषा तक कह दिया हैं। इस नीति में संस्कृत को पाठशालाओं तक सीमित न रखते हुए विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। एकल विश्वविद्यालयों की संकल्पना को खारीज किया गया है। इस दृष्टि से संस्कृत विश्वविद्यालय भी बहु विषयक विश्वविद्यालय बनेंगे जिससे सभी विषयों के साथ संस्कृत का जुड़ाव सहजा हो सकेगा। इस नीति में अनुवाद संस्थान

की स्थापना तथा अनुवाद के उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम चलाने का प्रावधान किया गया है। इसमें विश्वविद्यालयों के संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषा के विभागों को सुदृढ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। यह वैज्ञानिक तथ्य है यह कि रचनात्मकता, सृजनात्मकता, नवाचार एवं शोध अनुसंधान मातृभाषा में ही संभव है। भारतीय वैज्ञानिक सी.वी. श्रीनाथ शास्त्री का कथन है कि, 'अंग्रेजी के माध्यम से इंजिनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों तुलना में भारतीय भाषाओं में पढ़े छात्र, अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं।' इस नीति में इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित राष्ट्रीय शोध संस्थान में भारतीय भाषाओं में शोध हेतु आवश्यक निधि का प्रावधान किया जाएगा।

इस शिक्षा नीति में बालक अथवा शिक्षार्थी को संसाधन न मानकर समग्र व्यक्ति के रूप में विकसित करने की संकल्पना निहित है। इस शिक्षा नीति के विजन में कहा गया है कि, 'इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए योगदान करेगी। नयी शिक्षा नीति का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि शिक्षा नीति शिक्षण संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करने वाली है।

आज विडंबना यह है कि डॉलर में वेतन दिलवाने वाले रोजगार के अवसर अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। इसके चलते बाजार की मांग अंग्रेजी के पक्ष में ही अधिक है। हालांकि यह स्थिति विश्व में अमेरिका के ताकतवर रहने और विश्व व्यापार की मुद्रा डॉलर के रहने तक ही रहेगी। इसमें में शैक्षिक परिदृश्य कुछ इस प्रकार का बन गया है कि चारों ओर अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूल दिखते है। इसी अंग्रेजी की अनिवार्यता से देश की मौलिकता को बहुत बड़ा आघात पहुँचा है। हमें अंग्रेजी से बैर नहीं है पर उसकी अनिवार्यता देश के लिए घात क बन गयी है।

भारतीय भाषाओं की उन्नति और प्रगति तभी संभव है, जब उसे प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार से जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषाओं को रोजगार की दृष्टि से अभी भी अंग्रेजी वाला स्थान प्राप्त नही है। इस बात को शिक्षा नीति में समझा गया है और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार के मानदंडों की अर्हता में शामिल किया जाएगा। यह सब भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके प्रावधान से हमारी भारतीय भाषाओं को गौरव प्राप्त होगा तब स्वतः ही भारतीय भाषाओं के समक्ष उत्पन्न संकट दूर हो जाएगा।

विविध तरीकों से भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित, संरक्षित और संवर्धित करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में से है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐतिहासिक नीति सिद्ध होगी, इससे भारतीय भाषाओं के सशक्ति करण का मार्ग प्रशस्त होगा। भारतीय भाषाएँ सशक्त होंगी तो सही मायनों में नया भारत सशक्त भारत बनेगा। भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण से ही भारत वर्ष की सांस्कृतिक विविधता के अनेक आयाम जन-जन तक पहुँच सकते है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत का आधार भारतीय भाषाओं के सशक्तिरण से ही संभव है।

इस हेतु सामाजिक संस्थाओं, संगठनों एवं विशेषकर शिक्षा जगत के लोगों का प्रमुख दायित्व बनता है कि इस दिशा में देशव्यापी जनजागरण अभियान चलाकर अपनी भाषाओं का स्वाभिमान जगाने हेतु संकल्पबद्ध हों।

संदर्भ :

1) अतुल कोठारी-नई शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाएँ, 2) मेरे सपनों का भारत, पृष्ठ 196, 3) मेरे सपनों का भारत पृष्ठ 196, 4) डॉ. कलाम-नागपूर धर्मपेठ महाविद्यालय में वक्तव्य, 5) अतुल कोठारी - लोकनीति केंद्र, 6) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ-8, 7) भाषा-साहित्य और संस्कृति : ओरिएंटल ब्लैक स्वान प्रकाशन?, 8) संस्कृ ति के चार अध्याय-रामधारी सिंह दिनकर साहित्य अकादमी, नई दिल्ली।

टैगोर के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों को जीवन की सच्चाइयों, परिस्थितियों और परिवेश के परिचय और सामंजस्य तक विस्तृत है।